

न्यायालय-राकेश सनोडिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर(म0प्र0)

—:: रिमाण्ड आदेश ::—

क्रमांक— 133/न्या0/2025

नरसिंहपुर, दिनांक 29.10.2025

माह—नवम्बर एवं दिसम्बर 2025 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर, गाडरवारा, तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव की निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी नियत की जाती है। अवकाश के दिनों में कॉलम क्रमांक 02 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में बैठकर निम्नानुसार वर्णित तारीखों को रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

//नरसिंहपुर//

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम	माह नवम्बर-2025	माह दिसम्बर-2025
1	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव	01	20
2	श्री राधाकृष्ण यादव	02	14
3	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी	23	06
4	श्रीमती ऐश्वर्या जैन	05	25
5	सुश्री रत्नप्रिया श्रीवास्तव	16	07
6	सुश्री कशिश कुरैशी	15	28
7	श्री दिव्यांश लोवंशी	09, 30	21

//गाडरवारा //

1	श्री अजय सिंह यादव	01, 02, 30	—
2	सुश्री कृतिका सिंह	15, 16	14, 25
3	श्री विनय सोनी	09	06, 07, 28
4	श्री यश शर्मा	05, 23	20, 21

//गोटेगांव//

1	सुश्री साक्षी शुक्ला	01, 02, 05, 09, 15, 16, 23, 30	06, 07, 14, 20, 21, 25, 28
---	----------------------	--------------------------------	----------------------------

//तेंदूखेड़ा//

1	श्री अरविंद मीणा	01, 02, 05, 09, 15, 16, 23, 30	06, 07, 14, 20, 21, 25, 28
---	------------------	--------------------------------	----------------------------

नोट :-

(1) रिमाण्ड ड्यूटी के समय यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर जाते हैं तो अवकाश आवेदन में उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी हेतु, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति बाबत, आवेदन में लेख

करेंगे तथा सहमत मजिस्ट्रेट की अनापत्ति लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे, जिसकी पूर्व अनुमति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर से ली जावेगी।

(2) रिमाण्ड ड्यूटी के समय यदि मजिस्ट्रेट प्रशिक्षण/स्थानांतरण/अवकाश पर जाने के कारण उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके न्यायालय का कार्य सम्पादित करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी की जावेगी, किन्तु उक्त प्रशिक्षण/स्थानांतरण/अवकाश से प्रभावित मजिस्ट्रेट का यह दायित्व होगा कि उक्त कारण की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को आवश्यक रूप से सूचित करें।

(3) अन्य कोई विशेष अवकाश एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित न हो, तो माह नवम्बर-2025 में नरसिंहपुर मुख्यालय में सुश्री रत्नप्रिया श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर, गाडरवारा न्यायालय में श्री यश शर्मा जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा, गोटेगांव न्यायालय में सुश्री साक्षी शुक्ला जे.एम.एफ.सी. गोटेगांव एवं तेंदूखेड़ा न्यायालय में श्री अरविंद मीणा जे.एम.एफ.सी. तेंदूखेड़ा के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी। इसी प्रकार माह दिसम्बर-2025 में नरसिंहपुर मुख्यालय में श्री दिव्यांश लोवंशी जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर, गाडरवारा न्यायालय में श्री विनय सोनी जे.एम.एफ.सी. गाडरवारा, गोटेगांव न्यायालय में सुश्री साक्षी शुक्ला जे.एम.एफ.सी. गोटेगांव एवं तेंदूखेड़ा न्यायालय में श्री अरविंद मीणा जे.एम.एफ.सी. तेंदूखेड़ा के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी।

(4) श्री राधाकृष्ण यादव जे.एम.एफ.सी. नरसिंहपुर की नियत रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक को यदि कोई प्रोटोकॉल अथवा अर्जेन्ट कार्य आता है, तो मुख्यालय में उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

(5) श्री अरविंद मीणा जे.एम.एफ.सी. तेंदूखेड़ा दिनांक 28.12.2025 से 31.12.2025 तक एवं सुश्री साक्षी शुक्ला जे.एम.एफ.सी. गोटेगांव दिनांक 28.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश में मुख्यालय से बाहर रहने से उक्त अवधि में तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव में नियत रिमाण्ड ड्यूटी के स्थान पर क्रमशः मुख्यालय गाडरवारा एवं मुख्यालय नरसिंहपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा नियत दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

sd/-

(राकेश सनोडिया)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर म.प्र.

प्रतिलिपि-

- 1-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, नरसिंहपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2-श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे जिले के सभी आरक्षी केंद्र जिला नरसिंहपुर को उक्त रिमाण्ड आदेश की प्रति भेजकर उन्हें सूचित करें।
- ✓ 4-समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5-जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नरसिंहपुर की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि तहसील न्यायालय में पदस्थ अभियोजन अधिकारियों को भी सूचित करें।
- 6-अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा/गोटेगांव को सूचनार्थ प्रेषित।
- 7-सिस्टम आफिसर नरसिंहपुर की ओर जिला नरसिंहपुर के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की ई-मेल आई.डी. पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(राकेश सनोडिया)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर म.प्र.

न्यायालय-राकेश सनोडिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर (म.प्र.)

// विविध आदेश //

कमांक-134/सी.जे.एम./2025

नरसिंहपुर, दिनांक 29.10.2025

जिला स्थापना नरसिंहपुर एवं तहसील गाडरवारा, गोटेगांव, तेंदूखेड़ा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की जेल से रिमाण्ड संबंधी एवं अस्पताल से व्ही.सी. हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को निम्न दिनांक एवं माह में समय 11 से 12 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अधिकृत किया जाता है।

// नरसिंहपुर //

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम	माह नवम्बर-2025	माह दिसम्बर-2025
1	सुश्री अंकिता श्रीवास्तव	03, 04, 06	01, 02, 03, 04
2	श्री धर्मेन्द्र नागवंशी	07, 08, 10	05, 08, 09, 10
3	श्रीमती ऐश्वर्या जैन	11, 12, 13, 14	11, 12, 13, 15
4	सुश्री रत्नप्रिया श्रीवास्तव	17, 18, 19, 20	23, 24, 26, 27
5	सुश्री कशिश कुरैशी	21, 22, 24, 25	16, 17, 18, 19
6	श्री दिव्यांश लोवंशी	26, 27, 28, 29	22, 29, 30, 31

// गाडरवारा //

1	श्री अजय सिंह यादव	03, 04, 06, 07, 08	01, 02, 03, 04, 05, 08
2	सुश्री कृतिका सिंह	10, 11, 12, 13, 14	09, 10, 11, 12, 13, 15
3	श्री विनय सोनी	17, 18, 19, 20, 21, 22	16, 17, 18, 29, 30, 31
4	श्री यश शर्मा	24, 25, 26, 27, 28, 29	19, 22, 23, 24, 26, 27

// गोटेगांव //

1	सुश्री साक्षी शुक्ला	03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31
---	----------------------	--	--

// तेंदूखेड़ा //

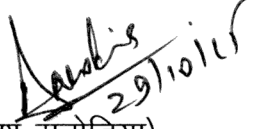
1	श्री अरविंद मीणा	03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31
---	------------------	--	--

नोट :- उक्त दिनांक को नियत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय या दिनांक को अधिकृत अधिकारी अवकाश पर जाते हैं या अन्य किसी कारण से मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहते हैं, तो उनके स्थान पर उक्त अधिकारी के प्रभार को देखने वाले अधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जावेगी तथा यदि स्थानांतरण पर जाते हैं तो उनके पद उत्तरवर्ती अधिकारी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जावेगी।

(राकेश सनोडिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर म.प्र.

प्रतिलिपि-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- ✓ 2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नरसिंहपुर, गाडरवारा, तेंदूखेड़ा एवं गोटेगांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. जेल अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. सिस्टम आफिसर नरसिंहपुर की ओर जिला नरसिंहपुर के सभी न्यायाधीशगण की ई-मेल आई.डी. पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(राकेश सनोडिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नरसिंहपुर म.प्र.

o/c